भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4305

दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतें

4305. श्री दरोगा प्रसाद सरोज:

श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ऑक्सीजन की कमी के कारण संदिग्ध मौतों संबंधी आंकड़े एकत्र किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी मौतों की कोई जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों की रिपोर्ट संकलित करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति न करने और ऐसी मौतों को रोकने में सक्षम न होने के लिए संबंधित अधिकारियों/प्राधिकरणों पर कोई जिम्मेदारी तय की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है और इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): स्वास्थ्य राज्य का विषय है। हालांकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नियमित रूप से देश में ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौतों की संख्या के संबंध में कोई विकेंद्रित डेटाबेस नहीं रखता है, 13 दिसंबर, 2024 (और फिर 16 दिसंबर, 2024 को) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 'ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौतों' के संबंध में डेटा प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतों की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों को अपेक्षित तकनीकी, संभारतंत्रीय और वित्तीय सहायता प्रदान करता है और स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवा प्रदायगी को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए संभारतंत्रीय और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों की सहायता भी करता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चिकित्सा ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति को संवर्धित करने के लिए किए गए कुछ उपायों में मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम (एमजीपीएस) के साथ तरल चिकित्सा ऑक्सीजन (एलएमओ) भंडारण टैंकों की संस्थापना, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिला अस्पतालों में प्रैशर स्विंग एडसॉर्पशन (पीएसए) संयंत्रों की संस्थापना के लिए भी सहायता प्रदान की है।

*****